समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Friday, 25 September 2026

महाराष्ट्र मे स्ंथानीय चुनावों मे बंदलाव, 20 जगहों पर मतदान स्थगित

Publisher

Published on 01 Dec 2025

महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों के लिए पहले निर्धारित कार्यक्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर के कुछ चुनावों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार, कम-आइकन आवंटन और अदालतों में लंबित मामलों के कारण कम-से-कम 20 स्थानों पर चुनाव प्रक्रिया को रोका गया है। इस बदलाव के परिणामस्वरूप, इन जगहों पर मतदान की नई तिथि अब 20 दिसंबर निर्धारित की गई है, जबकि पहले यह 2 दिसंबर को होना था।

राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। आयोग ने यह भी कहा कि कम-आइकन आवंटन और विवादित उम्मीदवारों से जुड़े मामले अभी भी अदालतों में विचाराधीन हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर असमर्थता का असर पड़ा। आयोग ने बताया कि यह कदम चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अनिवार्य था।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के स्थगन से चुनावी प्रक्रिया में आवश्यक समय और संसाधनों की सुरक्षा होती है। हालांकि, इससे मतदाताओं और राजनीतिक दलों दोनों को तैयारियों में संशोधन करना पड़ेगा। राजनीतिक दल अब अपने प्रचार अभियान और उम्मीदवारों की तैयारियों को नई तिथि के अनुसार समायोजित करेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव स्थगन का असर स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों की रणनीतियों और मतदाताओं की भागीदारी पर पड़ सकता है। यह बदलाव प्रशासन और निर्वाचन आयोग दोनों के लिए एक चुनौती भी पेश करता है। आयोग ने यह सुनिश्चित करने की बात कही है कि नई तिथि तक सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह तैयार किया जाएगा, ताकि मतदान निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

इस सत्र के चुनावों में बड़े-छोटे सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों को शामिल किया गया है। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे नई तारीख और मतदान केंद्रों की जानकारी पर ध्यान दें। मतदाता अपने मतदान अधिकार का प्रयोग नई तिथि के अनुसार करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित हो।

स्थानीय चुनावों में यह स्थगन समय पर उचित निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। इससे उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और प्रशासन को आवश्यक बदलाव और तैयारी करने का अवसर मिलेगा। राज्य चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी संभावित कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

इस प्रकार, महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों में इस बदलाव ने राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य को प्रभावित किया है। नए मतदान दिनांक और प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार सभी पक्षों को अपनी रणनीतियों और तैयारियों को अपडेट करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संपन्न हो।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.